

18.05.2018

जमानत आवेदन क्रमांक 174/18

आवेदक/अभियुक्त नीरज की ओर से एम0एस0 यादव अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

प्रकरण आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 पर विचार हेतु नियत है।

उक्त आवेदन पत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त नीरज की ओर से श्री एम0एस0 यादव अधिवक्ता द्वारा स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया।

आवेदक नीरज की ओर से अधिवक्ता श्री एम0एस0 यादव द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया है कि आवेदक का यह प्रथम नियमित जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निराकृत हुआ है।

आवेदक के जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 पर उभयपक्ष को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्त नीरज की ओर से निवेदन किया गया है कि आवेदक के विरुद्ध एक झूठा अपराध पंजीबद्ध किया है, जबकि आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक निर्दोष है। अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है जिसमें साक्षियों के कथन लिये जा चुके हैं। आवेदक करीब 15-16 माह से न्यायिक निरोध में है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की पूर्ण संभावना है। आवेदक सभी शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर हैं। अतः इन्हीं सब आधारों पर उसे जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अपराध को अति गंभीर स्वरूप का होना बताते हुये जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदन पर विचार करते हुये संपूर्ण प्रकरण का अवलोकन किया गया, जिससे दर्शित है कि मृतिका लाली की हत्या कारित किये जाने के संबंध में आवेदक/अभियुक्त नीरज के विरुद्ध धारा 302 सहपठित धारा 120-ख, 201 एवं धारा 120-ख भा0दं0सं0 के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये हैं, अभियुक्त पर आरोपित अपराध अति गंभीर प्रकृति का है तथा जमानत आवेदन के संबंध में इस स्टेज पर

गुण-दोष पर विचार नहीं किया जा सकता है।

अतः मामले की गंभीरता सहित संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक नीरज को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

प्रकरण पूर्ववत अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 29.06.2018 को पेश हो।

सतीश कुमार गुप्ता  
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी  
(शासकीय / विधिक उपकरण)